[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग -I खंड - 3 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

***

नई दिल्ली, दिनांकः 05 सितम्बर, 2016

संकल्प

संख्या : 01 (अ)

सं.1(6)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं)

1. भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 28 फरवरी, 2014 के संकल्प संख्या 1/1/2013-ई.III(ए) के तहत किया था । आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को सौंप दी थी । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ सशस्त्र सेना कार्मिकों की परिलब्धियों, भत्तों की संरचना और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों को शामिल किया गया था । सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसरों से संबंधित इन मामलों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और निर्णय लिया है कि रक्षा कार्मिकों की इन श्रेणियों के संबंध में उपर्युक्त मामलों पर आयोग की सिफारिशों को निम्नानुसार स्वीकार किया जाएगा । रक्षा कार्मिक अफसरों के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

(i) संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन 01.01.2016 से किया जाएगा ;

(ii) वेतन संबंधी मामला ;

(क) रक्षा तथा सैन्य नर्सिंग सेवा कार्मिकों दोनों हेतु वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की मौजूदा प्रणाली को पृथक वेतन मैट्रिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) 01.01.2016 को नए वेतन मैट्रिक्स में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का निर्धारण उसके मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा करते हुए किया जाएगा ।

टिप्पणी-1 01.01.2016 को नए वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में, 31.12.2015 को संशोधन पूर्व वेतन संरचना में मौजूदा वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा । इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के ग्रेड वेतन के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है । यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा ; अथवा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा ।

टिप्पणी 2 उपर्युक्त टिप्पणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन निर्धारण के पश्चात बाद की वेतनवृद्धियां, उसी लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी ।

(ग) आयोग द्वारा संस्तुत वेतन संबंधी आम सिफारिशें रक्षा वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित अपवादों के साथ स्वीकार कर ली गयी हैं ;